आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/I/63961/2017 दिनांकः– 7/2/2017

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म–मृत्यु) एवं
जिला कलक्टर
जिला......समस्त.........

विषयः– जन्म रिकार्ड में नाम परिवर्तन बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्रांक 53199 दिनांक 05.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जन्म रिकार्ड में नाम परिवर्तन हेतु मार्गदर्शन प्रेषित किया गया था कि रजिस्ट्रार द्वारा नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता से सन्तुष्ट हो जाता है तथा नाम में परिवर्तन एक बार किये जाने के पश्चात् पुनः निषेध होगा और इस सम्बन्ध में आवेदक से एक शपथ पत्र लिया जावे कि वह भविष्य में पुनः परिवर्तन नहीं करायेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में रजिस्ट्रार द्वारा नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि **"आवेदक को नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण** करने पश्चात् रिकार्ड में केवल एक बार नाम में परिवर्तन रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा किया जा सकेगा"।

अतः जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 व राज्य नियम, 2000 के नियम की पालना करते हुए इस सम्बन्ध में सभी रजिस्ट्रार को अनुपालना के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करावें। साथ ही जन्म रिकार्ड में परिवर्तन अन्तिम आश्रय के रूप में किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/I/63961/2017 दिनांकः– 7/2/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला.................................
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला..................................

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव